

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

सचिका संख्या :-6/अ0-03-06/2024

पटना, दिनांक-

श्री सतीश कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-15.09.2024 से 22.09.2024 तक कुल 08 (आठ) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री कुमार के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (135-08=127) (एक सौ सत्ताईस) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-06/2024 1691

पटना, दिनांक-15/04/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना -800015/कोशागार पदाधिकारी, जिला कोशागार, नालन्दा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/ राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सतीश कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ प्रेषित।

1
11/04/2025

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।